



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29112023-250303
CG-DL-E-29112023-250303

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 781]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 28, 2023/अग्रहायण 7, 1945

No. 781]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 28, 2023/AGRAHAYANA 7, 1945

भारतीय मानक ब्यूरो

(उपभोक्ता मामले विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2023

संदर्भ: HQ-PUB-BIS (733).—भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा भारत के राजपत्र में निचे दिए गए सन्दर्भों में भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारत के राजपत्र भाग III, खंड 4 में भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचनाओं में निम्नलिखित संशोधन करता है:

1) **संदर्भ: HQ-PUB012/1/2020-PUB-BIS (573) दिनांक 20 अप्रैल 2023 (प्रकाशित दिनांक 24 अप्रैल 2023)**

अनुसूची के क्रम संख्या 1, कॉलम (5) में — 19 अक्टूबर 2023' को '19 अप्रैल 2024' से प्रतिस्थापित करें।

पी. राजेश, वैज्ञानिक एफ एवं उपमहानिदेशक (आई टी एस, पी आर टी एवं टी एन एम)

[विज्ञापन-III/4/असा./563/2023-24]

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Department of Consumer Affairs)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 9th November, 2023

Ref: HQ-PUB-BIS (733).—Bureau of Indian Standards hereby makes the following AMENDMENT to the NOTIFICATION of Government of India under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) in Part III, Section 4 of the Gazette of India in pursuance of sub-rule (1) of Rule 15 of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018.

1) Ref no. HQ-PUB012/1/2020-PUB-BIS (573) dated 20 April 2023 (Published on 24 April 2023)

Sl. No. 01, column (5) of schedule — Substitute '19 April 2024' for '19 October 2023'.

P. RAJESH, Scientist F & DDG (ITS, PRT & TNM)

[ADVT.-III/4/Exty./563/2023-24]